

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

( दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल aao1.dta@rajasthan.gov.in )

क्रमांक :- प.2 (ग)एसीपी/अलेसे I / 1990 / 745

दिनांक :- 10.9.2021

आदेश संख्या : 454/2021-22

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.15(1)वित्त(नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं प.14(88)वित्त(नियम)/2008 दिनांक 12.01.2018 के अनुसरण में निम्नांकित कार्मिक / कार्मिकों को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 27 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त सन्तोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे मैट्रिक्स के लेवल L-13 में स्वीकृत की जाती है।

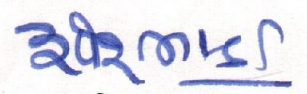
| क्र.स. | नाम (सर्वश्री)                  | मेरिट/बैच न. | कनिष्ठ लेखाकार / समान ग्रेड पे में अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि | तृतीय एसीपी देय तिथि | विशेष विवरण                            |
|--------|---------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| (1)    | (2)                             | (3)          | (4)                                                                 | (5)                  | (6)                                    |
| 1*     | भंवर लाल गांधी - [4061]         | 38 / 1990    | 28/08/1993                                                          | 29/08/2020           | 9 वर्ष की एपीएआर जाँच के आधार पर देय   |
| 2      | देवेन्द्र कुमार गुप्ता - [3994] | 489 / 1990   | 03/01/1994                                                          | 03/01/2021           |                                        |
| 3      | हेमराज सिंह मीणा - [2313]       | 339 / 1990   | 21/06/1993                                                          | 21/06/2021           | द्वितीय एसीपी के 9 वर्ष पश्चात स्वीकृत |
| 4*     | जितेन्द्र कुमार जोशी - [4584]   | 56 / 1990    | 21/06/1993                                                          | 21/06/2020           | 9 वर्ष की एपीएआर जाँच के आधार पर देय   |
| 5      | मनोज कुमार भट्ट - [6069]        | DGS / 1990   | 29/03/1994                                                          | 29/03/2021           |                                        |
| 6      | रामचरण बैरवा - [2223]           | 599 / 1990   | 03/01/1994                                                          | 03/01/2021           |                                        |
| 7      | विनोद कुमार गुप्ता - [5397]     | 484 / 1990   | 03/01/1994                                                          | 03/01/2021           |                                        |

\*उपरोक्त क्रम संख्या 1, 4 पर अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम के गत सात वर्ष में से पूरे 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार गत 9 वर्ष में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त कार्मिक / कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 30.10.2017 के पैरा 14(2) एवं आदेश दिनांक 09.12.2017 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें:-

- 1 पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
- 2 पूर्व में तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत नहीं की गई है।
- 3 कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
- 4 इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
- 5 गत 7 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही हैं।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

  
(भूपेश माथुर)  
निदेशक

क्रमांक:- प.2 (ग)एसीपी/अलेसे I / 1990 / 745

दिनांक :- 10.9.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष

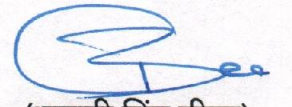
. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)/एपीएआर शाखा को प्रेषित कर लेख है कि क्रम संख्या 1, 4 पर अंकित कार्मिकों के वांछित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यदि उनमें कोई प्रतिकूल प्रविष्टि पाई जावे तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें।

. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम

. निजी सचिव, निदेशक।

. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

. रक्षित/निजी पत्रावली।



(भवानी सिंह मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I)